तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	7.4.21
	पत्रावली पेश / बहुलाव उपरोक्त मूल प्रार्थना पत्र 251-A [illegible] सुनी गई। पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 15.4.21 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)
15.4.21	पत्रावली पेश / बहुलाव उपरोक्त नायब तहसीलदार ने दिनांक 8.4.21 को [illegible] पेश किये। नायब तहसीलदार का प्रतिवेदन पेश [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पालना हेतु तहसीलदार को [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)

अत:प्रार्थी को खेत खसरा नबंर 1816/472 में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत ख.न. 1834/472 रकबा 91.08 बीघा के खेत के बीच में से होकर आगे कटाणी रास्ते तक नजरी नक्शे के मार्क ए से बी अनुसार 15 फुट चौड़ा रास्ता घोषित किया जाता है । अगर इस घोषित रास्ते में किसी प्रकार का कोई अवरोध आता है तो बगल से घुमाकर रास्ता किया जावे।

तथा प्रार्थी को अपने खेतों में आने जाने के लिए खेत खसराअप्रार्थी ख.न. 1834/472 में 15 फुट चोड़ा रास्ता घोषित किये जाने पर कुल रकबा 10 बिश्वा प्रभावित होता है।एवं राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता घोषित किया जाता है तथा रास्ते में जाने वाली भूमि की गणना राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प.3 (52) राज –6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसरण में प्रार्थी से उक्त प्रभावित आराजी 00.10 बीघा की तीन गुना के हिसाब से प्रतिकर शुल्क राशि रूपये राजकोष में प्रार्थी से जमा करवाई जाकर उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन कर उक्तानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करने हेतु तहसीलदार खींवसर को आदेश दिये जाते है। उक्त राशि का प्रभावित रकबा अनुसार राशि का वितरण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारों को किया जावें है इस प्रकार उक्त राशि का भुगतान कर उक्त आदेश की पालना की जानी है।

उक्त रास्ते पर किसी भी पक्षकारान का निजी स्वामित्व नहीं रहेगा । यह रास्ता एक सार्वजनिक रास्ता रहेगा जो सभी के लिए उपयोग उपभोग में काम आयेगा।

नोट:– उपरोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त आदेश की पालना कर अवगत करावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

उक्त आदेश आज दिनांक : 15.4.21 को सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर